

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एन-139/2011)/अलेसे-11/25166-7/ दिनांक :- 07.01.2016

कार्यालय आदेश

कोषाधिकारी बून्दी के पत्र क्रमांक स्थापना/2016/3 दिनांक 04.01.2016 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उपकोष इन्द्रगढ़ (बून्दी) में पदस्थापित श्री निर्मल कुमार जैन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 के विरुद्ध पुलिस थाना बौली, सवाईमाधोपुर में उनकी पत्नी के द्वारा दिनांक 23.11.2015 को धारा 498-ए व 406 आई.पी.सी धारा में दर्ज मुकदमें में दिनांक 14.12.2015 को रात्रि 10:15 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया तथा दिनांक 18.12.2015 को माननीय न्यायालय बौली द्वारा जमानत लिये जाने के पश्चात दिनांक 21.12.2015 को उपकोष में उपस्थिति दी। इस प्रकार श्री निर्मल कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11, 48 घंटे से अधिक पुलिस हिरासत में रहें हैं। श्री जैन को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1958 के नियम 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 14.12.2015 से अग्रिम आदेश तक निलंबित कर मुख्यालय कोषाधिकारी, कोटा किया जाता है। श्री जैन को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।



(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एन-139/2011)/अलेसे-11/25166-7/ दिनांक :- 07.01.2016

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलेक्टर, बून्दी।
2. कोषाधिकारी, बून्दी/कोटा।
3. उपकोषाधिकारी, इन्द्रगढ़ (बून्दी)।
4. उपनिदेशक ए.सी.पी. को वेबसाइट अपलोड/पी.आई.एस. हेतु।
5. श्री निर्मल कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी-11 कार्यालय उपकोषाधिकारी इन्द्रगढ़, बून्दी। (वि.सं. 9443)
6. पदस्थापन सीट/विधि एवं जॉच/गोपनीय शाखा/निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)